बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2021

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

विषय सूची

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. निगमन ।
4. अधिकारिता ।
5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य ।
7. लिंग, वर्ग या पंथ का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय का खुला रहना।
8. नामांकन में आरक्षण
9. कुलाधिपति ।
10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ।
11. कुलपति ।
12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्त्तव्य एवं कृत्य ।
13. कुलपति को पद से हटाया जाना ।
14. डीन ।
15. रजिस्ट्रार ।
16. वित्त पदाधिकारी ।
17. परीक्षा नियंत्रक ।
18. अन्य पदाधिकारी ।
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार ।
20. सामान्य परिषद् ।
21. कार्यकारिणी परिषद् ।
22. अकादमिक परिषद् ।
23. योजना बोर्ड ।
24. अध्ययन बोर्ड ।
25. संबद्धता बोर्ड ।
26. वित्त समिति ।
27. अन्य प्राधिकार ।

28. परिनियम बनाने की शक्ति ।

29. परिनियम कैसे बनाया जायेगा ।

30. विनियम ।

31. वार्षिक प्रतिवेदन ।

32. निधि ।

33. लेखा एवं लेखा परीक्षा ।

34. रिटर्न (विवरणी) आदि प्रस्तुत करना ।

35. कर्मचारियों की सेवाशर्तें ।

36. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन ।

37. अपील का अधिकार ।

38. भविष्य तथा पेंशन निधि ।

39. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद

40. आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना ।

41. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।

42. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।

43. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत के ढंग ।

44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

45. संक्रमणकालीन उपबंध ।

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

सरकार और/अथवा ट्रस्ट(न्यास) अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थाओं में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना, प्रबंधन कार्यक्रम के परम्परागत और नवीन विधाओं को संचालित एवं संबद्धता प्रदान करने तथा शिक्षण, अनुसंधान के प्रसार एवं उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा इससे जुड़े अथवा इसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए भी बिहार राज्य में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित एवं सम्मिलित करने के लिए विधेयक;

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएँ** ।– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(1) "शैक्षणिक परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद्;

(2) "संबद्ध संस्था" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षण संस्था;

(3) "संबद्धता" से अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) एवं इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी संबद्धता;

(4) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (अभातशिप) से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 52) के अधीन गठित परिषद्;

(5) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(6) "मुख्यमंत्री" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री;

(7) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है कॉलेज जो अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;

(8) "वास्तु परिषद्" से अभिप्रेत है वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम, 20) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;

(9) "अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और अन्य संबंधित शीर्ष नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित स्नातक या उच्चतर स्तर डिग्री के लिए पाठ्यक्रम;

(10) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(11) "कार्यकारिणी परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्;

(12) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(13) "सामान्य परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद्;

(14) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(15) "संस्था" से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्था या महाविद्यालय जो अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;

(16) "प्रबंधन कार्यक्रम" से अभिप्रेत है अभातशिप (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्) से अनुमोदित प्रबंधन कार्यक्रम जो संस्था द्वारा संचालित हो;

(17) "कदाचार" से अभिप्रेत है परिनियम द्वारा विहित कदाचार;

(18) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(19) "योजना बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;

(20) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्राचार्य और इसमें जहाँ प्राचार्य न हों, वह व्यक्ति जो तत्समय के लिए प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक रूप से नियुक्त किया जाये, सम्मिलित है;

(21) "नामांकन में आरक्षण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–8 के तहत परिभाषित नामांकन में आरक्षण;

(22) "स्क्रीनिंग समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 11(3) के तहत गठित समिति;

(23) "स्व–वित्त पोषित संस्था" से अभिप्रेत है वह संस्था जो ट्रस्ट अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा स्थापित और स्व–वित्त पोषित हो एवं अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो;

(24) "परिनियम" एवं "विनियमावली" से अभिप्रेत हैं तत्समय प्रवृत विश्वविद्यालय का क्रमशः परिनियम एवं विनियमावली;

(25) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथा परिभाषित तकनीकी शिक्षा;

(26) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय;

(27) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 (अधिनियम–3, 1956) के अधीन स्थापित आयोग;

(28) "विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–36 के तहत परिभाषित आयोग;

(29) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(30) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित है;

3. **निगमन** ।– (1) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय, उस तिथि के प्रभाव से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, स्थापित किया जायेगा जिसमें कुलाधिपति और कुलपति,सामान्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यकारणी परिषद् एवं शैक्षणिक परिषद् के प्रथम सदस्य, और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो एतद्पश्चात् ऐसे पद पर या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जायें और वे अपने पद पर जब तक बने रहे अथवा जब तक उनकी सदस्यता बनी रहे।

(2) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययनित करने तथा संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने अथवा अपने विरूद्ध वाद लाये जाने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर रखनेवाला पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

4. अधिकारिता ।–

(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) सरकार द्वारा स्थापित एवं राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध या भविष्य में स्थापित होने वाले सभी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं संस्था जो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन कार्यक्रम जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य शीर्ष नियामक निकाय द्वारा तकनीकी शिक्षा के रूप में परिभाषित है, के पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने वाले हो, वे उस तिथि से जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे एवं उस रीति से जैसा कि एतद्सम्बन्धी परिनियम या विनियमावली में प्रावधानित हो, विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता हेतु पात्र होंगे।

(3) तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय अथवा संस्था जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी तथा वास्तुकला एवं योजना कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं उस विश्वविद्यालय से जिससे ये महाविद्यालय अथवा संस्था सम्बद्ध रह चुके हैं,सम्बद्ध नहीं रह जायेंगे तथा ऐसे महाविद्यालय और संस्था इस विश्वविद्यालय से उस तिथि से सम्बद्ध समझे जायेंगे जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हों।

(4) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसी शर्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, अनुकूल अथवा आनुषंगिक समझे एवं तब सम्बद्धता प्रदान करेगा।

(5) किसी न्यास अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन कार्यक्रम में शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगे जो इस संबंध में बनाये गए परिनियम और विनियमावली में दी गयी शर्तो को पूरा करने के अधीन होगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य । –

विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामान्य रूप से मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए वातावरण विकसित करना और अभियंत्रण और तकनीकी विकास और अनुप्रयोगों के क्षेत्र के संबंध में विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के ज्ञान को विकसित करना होगा। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन में विशेष रूप से उत्कृष्टता के केंद्र और संस्थान बनाना होगा और अन्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे–

(1) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के साथ–साथ वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्र में अत्याधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट संस्था और केंद्र बनाना;

(2) विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और योग्यता के विकास के लिए क्षमताओं का निर्माण करना;

(3) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन और विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए वैश्विक मानक के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए क्षमताओं का निर्माण करना;

(4) शैक्षिक उपलब्धियों के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण और प्रशिक्षण के पैटर्न विकसित करना ताकि विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन में शिक्षा के उच्च्य मानक स्थापित किए जा सकें;

(5) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्रों में ज्ञान प्रबंधन और उद्यमिता विकास के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना;

(6) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक भागीदारी के लिए परस्पर सम्बन्ध प्रदान करना;

(7) राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उद्योग की जरूरतों के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रासंगिक बनाने के लिए उद्योग के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना;

(8) ऐसे प्रावधान करना जिससे सम्बद्ध महाविद्यालय अध्ययन में विशेषज्ञता की जिम्मेवारी ले सकें;

6. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य – विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, यथा :

(1) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन और सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान या सीखने की ऐसी शाखाओं में निर्देश, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों;

(2) शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के क्षेत्र में नई विधियों और प्रौद्योगिकियों का नवीन प्रयोग करना;

(3) अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को निर्धारित करना और इलेक्ट्रॉनिक और दूरस्थ शिक्षा सहित शिक्षा प्रणालियों और वितरण पद्धतियों में लचीलापन लाना;

(4) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्री प्रदान करना, या ऐसी शर्त के अधीन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ या विशेष सम्मान प्रदान करना, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करे, और ऐसी किसी भी डिग्री, प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक उपाधियों या विशेष सम्मान को वापस लेना या रद्द करना;

(5) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशेष सम्मान प्रदान करना;

(6) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, पुनरुत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना;

(7) विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना, प्रबंधन के सभी पहलुओं में अनुसंधान को प्रायोजित करना और जिम्मा लेना;

(8) विश्वविद्यालय के पूर्णतः अथवा अंशतः उद्देश्य को रखते हुए शिक्षकों, विद्वानों, औद्योगिक विशेषज्ञों के आदान–प्रदान के माध्यम से और आम तौर पर इस तरह से जो उनके आम उद्देश्यों के अनुकूल हो दुनिया के किसी भी हिस्से में शैक्षिक/औद्योगिक या अन्य संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना;

(9) विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय, सलाहकार, अनुसचिवीय और अन्य सहायक सेवाओं के पदों पर यथा आवश्यक नियुक्ति करना;

(10) स्टाफ की सभी कोटियों की सेवाओं की उनके आचार संहिता सहित, शर्तों को अधिकथित करना;

(11) विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववित्तपोषित संस्थाओं के छात्रों से उद्‌गृहीत किए जाने वालेफीस एवं अन्य चार्जों (प्रभारों) को विनियमित करना;

(12) सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर यथापेक्षित पाठ्यक्रम का विकास और संशोधन करना;

(13) यथास्थिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के साथ अन्य संबंधित विभाग, बिहार सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे शीर्ष नियामक निकायों के साथ संपर्क करना;

(14) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ संबंध विकसित करना और बनाए रखना;

(15) विश्वविद्यालय के वित्त का प्रबंधन, व्यय का विनियमन और लेखा का संधारण करना;

(16) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, चंदा, दान और उपहार प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों या निकायों के साथ कोई अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई करार करना;

(17) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और प्रयोजन के लिए उपहार, दान, चंदा, वसीयत के रूप में उद्योग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्त करना;

(18) फीस और ऐसे अन्य शुल्क जो विहित किए जाएँ को नियत करना, मांगना और प्राप्त करना या वसूल करना;

(19) फेलोशीप, छात्रवृत्ति, पारितोषिक, मेडल तथा अन्य पुरस्कारों को संस्थित करना तथा देना;

(20) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए किसी भी भूमि या भवन या कार्यों को, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, खरीदना या पट्टे पर लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना, जो आवश्यक या सुविधाजनक हो, और ऐसे किसी भवन या कार्य का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना;

(21) विश्वविद्यालय की चल या अचल संपत्तियों के सभी या किसी भी हिस्से को ऐसी शर्तों पर बेचना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटान करना जैसा कि वह उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए सुसंगत हो; परन्तु अचल सम्पत्तियों के मामले में सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(22) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपायों की व्यवस्था करना जो विहित किये जाये;

(23) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी सभी या किसी भी शक्ति (परिनियम और विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को प्रत्यायोजित करना और ऐसे अन्य कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति या वृद्धि के लिए अनुकूल या आनुषंगिक हो;

7. लिंग, वर्ग या पंथ का ध्यान न रखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय का खुला रहना।–

विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे उनका लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग जो भी हो, खुला रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार के उसके धार्मिक विश्वास अथवा पेशे की जाँच विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उसको हकदार बनाने हेतु अथवा उसमें कोई पद धारित करने के लिए अथवा विश्वविद्यालय के छात्र अथवा स्नातक के रूप में नामांकित होने के लिए अथवा उसके विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु अंगीकृत या अधिरोपित की जाये।

परन्तु, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि महिला, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों अथवा समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों या

अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन के लिए विशेष प्रावधान करने से विश्वविद्यालय को रोका गया हो।

8. नामांकन में आरक्षण। –

बिहार राज्य अंत्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय–समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानो को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रुप में आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होंगीं। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर यथापेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

9. कुलाधिपति । –

(1) बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त, यथास्थिति, महाविद्यालयों या संस्था, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वे निदेशित करें, निरीक्षण करवाने तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से जुड़े किसी विषय के संबंध में दी गयी रीति से जाँच–पड़ताल करवाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों या संस्थाओं को, उनका निरीक्षण या जाँच–पड़ताल करवाने हेतु अपने आशय की सूचना देंगे तथा यथास्थितिं, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थाओं को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपति के समक्ष, ऐसा अभ्यावेदन, जो वह आवश्यक समझे, सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, देने का अधिकार होगा।

(5) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा दिये गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचारण के बाद कुलाधिपति उपधारा (3) में यथा निर्देशित निरीक्षण या जाँच–पड़ताल करवा सकेंगे।

(6) जहाँ निरीक्षण या जाँच–पड़ताल कुलाधिपति द्वारा करवायी गयी हो वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे उस निरीक्षण अथवा जाँच पड़ताल में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) कुलाधिपति, उपधारा (3) में यथानिदेशित उस निरीक्षण या जाँच–पड़ताल के परिणाम के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकेंगे और कुलपति, कुलाधिपति के विचारों को, उस सलाह के साथ, जो उसपर कार्रवाई करने हेतु कुलाधिपति द्वारा दिया गया हो, कार्यकारिणी परिषद् को संसूचित कर देंगे।

(8) यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में निरीक्षण या जाँच–पड़ताल की गयी हो तो कुलाधिपति उस निरीक्षण या जाँच–पड़ताल के परिणाम के बारे में उस पर अपने विचार

कुलपति के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद् को संबोधित करेंगे तथा उस पर कार्रवाई करने की ऐसी सलाह देंगे, जैसा वह चाहें।

(9) कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के माध्यम से, उस कार्रवाई को, यदि कोई हो, जिसका उस निरीक्षण अथवा जाँच–पड़ताल के परिणाम पर करने का प्रस्ताव हो अथवा की गयी हो, कुलाधिपति को संसूचित करेंगे।

(10) जहाँ, यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति का समाधान करने वाली कार्रवाई नहीं करे वहाँ कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अथवा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे उचित समझें तथा कार्यकारिणी परिषद् उन निदेशों का अनुपालन करेगी।

(11) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को बातिल कर सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियम, विनियम के अनुरूप न हो, परन्तु कोई ऐसा आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति, रजिस्ट्रार को कारण दर्शाने हेतु कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित किया जाये और यदि युक्तियुक्त समय–सीमा के भीतर कारण दर्शाया जाता हो तो वे उस पर विचार करेंगे।

(12) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों के बीच किसी भी मामले पर मतभेद की दशा में जिसे अन्यथा हल नहीं किया जा सकता है, कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(13) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

10. विश्वविद्यालय के पदाधिकारी । –

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे–

(1) कुलपति,

(2) डीन,

(3) रजिस्ट्रार,

(4) वित्त पदाधिकारी,

(5) परीक्षा नियंत्रक,

(6) पुस्तकालयाध्यक्ष,

(7) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाये।

11. कुलपति । –

(1) कुलपति अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षाविद और प्रतिष्ठित विद्वान या एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद् या अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ मानव संसाधन विकास में पर्याप्त अनुभव रखने वाले एक प्रशासक होंगे;

(2) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा उपधारा (3) के अधीन गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित (नाम वर्णानुक्रम से व्यवस्थित होंगे) कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

परन्तु कुलाधिपति इस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करें तो वे नयी अनुशंसाओं की माँग कर सकेंगे।

(3) उपधारा (2) में निर्देशित स्क्रीनिंग कमेटी में तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, एक कुलाधिपति द्वारा और एक सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के संयोजक होंगे;

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा;

परन्तु यह और कि पैनल उन अभ्यर्थियों के बीच से तैयार किया जायेगा जो अपना बायोडाटा समर्पित करेंगे अथवा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किये जायेंगे।

(4) प्रथम कुलपति सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(5) कुलपति अपना पदग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए पदधारण करेंगे;

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् उनसे उस अवधि तक, जो कुल एक वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे।

परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।

(6) कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, अथवा अन्यथा खाली हो जाये अथवा यदि अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से वे अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जायें तो कुलाधिपति किसी लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों का निष्पादन तब तक करने के लिए पदाविहित करेंगे जब तक, यथास्थिति, नये कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते अथवा जब तक विद्यमान कुलपति अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो जाते।

12. कुलपति की शक्तियाँ, कर्त्तव्य एवं कृत्य । –

(1) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक पदाधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के विनिश्चयों को प्रभावी करेंगे।

(2) कुलपति, यदि उनकी राय हो कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे और अगली बैठक में उनके द्वारा उस विषय में उस प्राधिकार को की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन देंगे;

परन्तु, शक्ति का इस प्रकार प्रयोग केवल आपात स्थितियों में किया जायेगा और किसी भी दशा में पदों के सृजन और उत्क्रमण तथा उसपर नियुक्तियों के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि संबंधित प्राधिकार की राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो उस विषय को कुलाधिपति को सन्दर्भित कर सकेंगे जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा;

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो तो उसे, उस तिथि से जिस तिथि को विनिश्चय, उसे संसूचित किया गया हो, तीन माह के भीतर कुलाधिपति को उस कार्रवाई के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, उपांतरित अथवा उलट सकेंगे।

(3) यदि कुलपति की राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की शक्तियों के बाहर है अथवा किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो संबंधित प्राधिकार से उस विनिश्चय की समीक्षा उस

विनिश्चय की तिथि से साठ दिनों के भीतर करने हेतु कहेंगे और यदि वह प्राधिकार उस विनिश्चय की समीक्षा पूर्णतः या अंशतः करने से इन्कार करे अथवा उसके द्वारा उक्त साठ दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाये तो वह विषय कुलाधिपति को सन्दर्भित कर दिया जायेगा, जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम या विनियम द्वारा विहित किये जायें।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति, अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(6) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे एवं कार्यकारिणी परिषद्, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगें।

13. कुलपति को पद से हटाया जाना ।–

(1) ऐसी जाँच–पड़ताल, जो आवश्यक समझा जाये के बाद, यदि कुलाधिपति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कुलपति –

(i) इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के द्वारा या अधीन उन पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में असफल हो गये हैं, अथवा

(ii) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति से कार्य किये हैं, अथवा

(iii) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारण अधिकथित करते हुए और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति से, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से, अपने पद से त्यागपत्र देने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक विनिर्दिष्ट आधारों, जिस पर वह कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, एक सूचना तामील न की गयी हो और प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर कुलपति को न दे दिया गया हो।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को या से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जायेगा।

14. डीन । –

प्रत्येक डीन उस रीति से नियुक्त किये जायेंगे और उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

15. रजिस्ट्रार । –

(1) रजिस्ट्रार उस रीति से तथा उन निबंधन और सेवा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से एकरारनामा करने, दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों का अधिप्रमाणीकृत करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

16. वित्त पदाधिकारी । –

वित्त पदाधिकारी, उस रीति से और उन निबंधन एवं सेवा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

17. परीक्षा नियंत्रक । –

परीक्षा नियंत्रक, उस रीति से और उन निबंधन एवं सेवा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

18. अन्य पदाधिकारी । – विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार । –

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे:–

(1) सामान्य परिषद्

(2) कार्यकारिणी परिषद्

(3) शैक्षणिक परिषद्

(4) अध्ययन बोर्ड

(5) योजना बोर्ड

(6) संबद्धता बोर्ड

(7) वित्त समिति और

(8) अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जायें।

20. सामान्य परिषद्। –

(1) सामान्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे: –

(i) कुलाधिपति;

(ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;

(iii) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

(iv) मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

(v) कुलपति;

(vi) सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(vii) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;

(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;

(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

(x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

(xi) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;

(xii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;

(xiii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना, बिहार;

(xiv) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना, बिहार;

(xv) कुलाधिपति द्वारा नामित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति;

(xvi) बिहार सरकार द्वारा नामित सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, तीन साल की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में;

(xvii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार;

(2) (i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण सामान्य परिषद् का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाये;

(ii) पदेन सदस्यों के अलावा सामान्य परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;

(iii) सामान्य परिषद् का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगें यदि वह इस्तीफा दे देते हैं या विकृत दिमाग का हो जाते हैं, या दिवालिया हो जाते हैं या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराये जाते हैं। कुलपति, रजिस्ट्रार के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगें यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करते हैं; या यदि वह पदेन सदस्य न होने पर कुलाधिपति की अनुमति के बिना सामान्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहते हैं;

(iv) पदेन सदस्य के अलावा सामान्य परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकेंगे और ऐसा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा;

(v) सामान्य परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन से भरा जायेगा और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा;

(3) सामान्य परिषद् की शक्तियां, कार्य और बैठकें–

(1) सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकरण होगा और समय–समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय तैयार करेगा और उसके पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य भी होंगे:–

(i) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तैयार वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और बजट अनुमानों पर विचार करना और उन्हें पारित करना और उपांतरण के साथ या बिना उन्हें अपनाना;

(ii) अपने कार्यों के निर्वहन में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने सहित विश्वविद्यालय के मामलों के प्रशासन से संबंधित परिनियम बनाना;

(2) (i) सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक कुलाधिपति के द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी;

(ii) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कामकाज की एक रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण के साथ, संपरीक्षित बैलेंस शीट, और वित्तीय अनुमान कुलपति द्वारा अपनी वार्षिक बैठकों में सामान्य परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे;

(iii) सामान्य परिषद् की बैठकें कुलाधिपति द्वारा या तो अपने प्रस्ताव पर या सामान्य परिषद् के कम से कम दस सदस्यों की मांग पर बुलाई जाएंगी;

(iv) सामान्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए चौदह दिन का नोटिस दिया जाएगा;
तथापि, आकस्मिक स्थिति में कुलाधिपति द्वारा अल्प सूचना पर सामान्य परिषद् की बैठक बुलाई जा सकेगी;

(v) सामान्य परिषद् की नामावली में मौजूद एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(vi) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता होती है, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले कुलाधिपति के पास, अपने मत के अलावा, एक निर्णायक मत होगा;

21. कार्यकारिणी परिषद्। –

(1) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा।

(2) कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे: –

(i) विश्वविद्यालय के कुलपति;

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;

(iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;

(iv) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो;

(v) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(vi) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(vii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(viii) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(ix) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

(x) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (कुलसचिव);

(xi) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले तीन शिक्षक, जिनमें से एक विभाग के प्रमुखों में से, एक प्रोफेसरों से और एक एसोसिएट प्रोफेसर से एक–एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों से होगा।

(3) कुलपति, कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष होंगे:

(i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाये;

(ii) पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;

(iii) कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि वह त्यागपत्र दे देता है या विकृत दिमाग का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। कुलपति तथा रजिस्ट्रार के अलावा कोई अन्य सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है;

(iv) पदेन सदस्य के अलावा कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य कुलपति को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा;

(v) कार्यकारिणी परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन से भरा जाएगा तथा रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा।

(4) कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियां, कार्य और बैठकें:

I. कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण होगा और इस प्रकार इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गये परिनियमों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए इसे आवश्यक सभी शक्तियां होंगी, और इस प्रयोजन के लिए और इसमें उपबंधित विषयों के संबंध में भी विनियम बना सकेगी।

II. कार्यकारिणी परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे:

(i) सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठकों के लिए निम्नलिखित को तैयार करना और प्रस्तुत करना;

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट;

(ख) खातों का विवरण;

(ग) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव।

(ii) विश्वविद्यालय के वित्त, खातों, निवेशों, संपत्तियों, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और ऐसी समितियों या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों को अधिकार सौंपना जो वह उचित समझे;

(iii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(iv) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें बदलाव करना, उसे पूरा करना और रद्द करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(v) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(vi) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की किसी भी शिकायत को लेना, उस पर न्याय निर्णय करना और यदि वह ठीक समझे तो उसका निवारण करना;

(vii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियों का निर्धारण करना, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर विनिर्दिष्ट करना जो इस निमित्त बनाए गए परिनियमों एवं विनियमों द्वारा विहित किया जाये;

(viii) परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरों) को नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा एवं अन्य भत्ते अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना; तथा

(x) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जायें या इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किया जाये।

III. (i) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कम से कम चार महीने में एक बार होगी और ऐसी बैठकों की कम से कम चौदह दिन की सूचना दी जाएगी;

(ii) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कुलपति के निर्देशों के अधीन या कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएगी;

(iii) कार्यकारिणी परिषद् के आधे सदस्य से किसी भी बैठक की गणपूर्ति होगी;

(iv) सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय अभिभावी होगी;

(v) कार्यकारिणी परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता हो, तो यथास्थिति कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(vi) कार्यकारिणी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी;

(vii) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। इस प्रकार लिए गए निर्णय तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दी जाती हो। ऐसे निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित किये जाएंगे। यदि कार्यकारिणी परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

22. **अकादमिक परिषद्।** –

(1) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) अकादमिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:

(i) कुलपति, अध्यक्ष होंगे;

(ii) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(iii) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(iv) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(v) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना या उसका प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से अन्यून हो;

(vi) विभागाध्यक्ष, वास्तुकला विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;

(vii) कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से तीन व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति या विद्वान पेशे के सदस्य या प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति, जो सेवा में नहीं हों;

(viii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नामांकित व्यक्ति;

(ix) निदेशक, विज्ञान एवं प्राबैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

(x) बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के दस प्राचार्य तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में बिहार सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे;

(xi) कुलपति द्वारा तीन वर्षों के लिए नामित शिक्षण स्टाफ के तीन सदस्य एक–एक क्रमशः सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों के जो प्रोफेसर, एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व करते हों;

(3) अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठक :

अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों और कार्यकारिणी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामलों का प्रबंधन करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और पालन करेगी, अर्थात्

(i) सामान्य परिषद् या कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट या सौंपे गए किसी भी मामले पर रिपोर्ट करना;

(ii) विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों और उससे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;

(iii) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और उपांतरित करना या संशोधित करना, और ऐसे संकायों को उनसे संबंधित विषयों को सौंपना और कार्यकारिणी परिषद् को किसी भी संकाय के उन्मूलन या उप–विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट करना;

(iv) विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान को बढ़ावा देना और समय–समय पर इस तरह के अनुसंधान पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(v) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(vi) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्री की मान्यता की सिफारिश करना और विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता का निर्धारण करना ;

(vii) सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकार की गई किसी भी शर्त के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उसी के पुरस्कार के लिए सिफारिश करना;

(viii) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाने और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;

(ix) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और उन्हें आयोजित करने की तारीख की सिफारिश करना ;

(x) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा या समीक्षा करना या ऐसा करने के लिए समितियों या पदाधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्री, सम्मान, लाइसेंस, उपाधि और सम्मान के अंक प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करना;

(xi) वजीफा, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की सिफारिश करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी अन्य शर्तों पर अन्य पुरस्कार देना जो पुरस्कारों से संलग्न किए जाये;

(xii) निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूचियों को अनुमोदित या संशोधित करना एवं प्रकाशित करना और अध्ययन के लिए पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य विवरणों को अनुमोदित करना;

(xiii) ऐसे प्रपत्रों और पंजियों (रजिस्टरों) को अनुमोदित करना जो समय–समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों;

(xiv) शैक्षणिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम, परिनियम और इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(4) (i) अकादमिक परिषद् जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी, लेकिन एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक होगी;

(ii) अकादमिक परिषद् के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्यों से अकादमिक परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी;

(iii) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी;

(iv) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष सहित अकादमिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि अकादमिक परिषद्, द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता होती है तो यथास्थिति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(v) अकादमिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी;

(vi) यदि अकादमिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष अकादमिक परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। लिया गया निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अकादमिक परिषद् के सदस्यों के बहुमत से सहमति न हो। इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना अकादमिक परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी। यदि अकादमिक परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है, तो मामला कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

23. योजना बोर्ड । –

(1) योजना बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के विकास और संवृद्धि के लिए योजना तैयार करने हेतु प्रमुख निकाय होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित से होगा: –

(i) कुलाधिपति;

(ii) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;

(iii) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

(iv) मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

(v) कुलपति;

(vi) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;

(vii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;

(viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

(ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार;

(x) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;

(xi) निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना;

(xii) निदेशक, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (सीआईएम), पटना, बिहार;

(xiii) निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई), पटना, बिहार;

(xiv) कुलाधिपति द्वारा नामित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दो प्रख्यात प्रोफेसर;

(xv) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नामांकित व्यक्ति;

(xvi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामांकित व्यक्ति।

(xvii) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (कुलसचिव);

(3) योजना बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा और विश्वविद्यालय के भविष्य के कार्यक्रमों की योजना तैयार करेगा और अकादमिक परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् को इसकी सिफारिश करेगा। यह जब कभी आवश्यक हो विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजनाओं की भी सिफारिश करेगा।

24. अध्ययन बोर्ड । –

अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

25. संबद्धता बोर्ड ।–

(1) संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को संबद्धता देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संबद्धता बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

26. वित्त समिति । –

वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

27. अन्य प्राधिकार । –

विश्वविद्यालय के प्राधिकार होने के लिए परिनियम द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किए जायेंगे।

28. परिनियम बनाने की शक्ति । –

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए परिनियम का प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात् :

(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकार तथा अन्य निकायों का गठन जो समय–समय पर गठित किया जाना आवश्यक पाया जाये तथा उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(2) विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें पद पर बनाये रखना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा उन प्राधिकारों एवं अन्य निकायों से संबंधित सभी अन्य विषय जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक एवं वांछनीय हो;

(3) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्त्तव्य तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें;

(4) पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा स्कीम की स्थापना;

(5) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरीयता को निर्धारित करने वाले सिद्धांत;

(6) कर्मचारियों या छात्रों तथा विश्वविद्यालयों के बीच विवाद की दशा में मध्यस्थता की प्रक्रिया;

(7) विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार की कार्रवाई के विरूद्ध कर्मचारी अथवा छात्र द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील की प्रक्रिया;

(8) स्वायत्तता का विस्तार, जिसे कोई महाविद्यालय या संस्था एक स्वायत्त महाविद्यालय या संस्था के रूप में घोषित करें, का प्रयोग कर सकेंगे;

(9) मानद डिग्रियाँ देना;

(10) डिग्री, सर्टिफिकेट एवं अन्य उपाधियों की वापसी;

(11) अध्येतावृत्ति (फेलोशीप), छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, मेडल तथा इनाम एवं अन्य प्रोत्साहन संस्थित करना; विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और;

(12) सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन परिनियम द्वारा उपबंध किये गये हों अथवा किये जायें।

29. परिनियम कैसे बनाया जायेगा । –

(1) प्रथम परिनियम सामान्य परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा बनाया जायेगा।

(2) सामान्य परिषद्, समय–समय पर, नया अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी अथवा उपधारा (1) में निर्देशित परिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगी;

परन्तु सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की स्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम नहीं बनायेगी, संशोधित अथवा निरसित नही करेगी जब तक कि उस प्राधिकार को, प्रस्तावित परिवर्तन पर, लिखित रूप से, अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस अभिव्यक्त राय पर सामान्य परिषद् द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम में परिवर्धन अथवा उसके संशोधन या निरसन में कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी।

परन्तु यदि कोई वित्तीय निहितार्थ परिनियम के तहत उत्पन्न हो, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

30. विनियम । –

विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस अधिनियम और परिनियम के अनुरूप अपने स्वयं के कार्य के संचालन के लिए विहित रीति से और समितियों के लिए, यदि कोई हो, जो उनके द्वारा नियुक्त हों और इस अधिनियम, परिनियम द्वारा उपबंधित न हों तथा ऐसे विषयों के लिए जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें विनियम बना सकेंगे। परन्तु, यदि कोई वित्तीय निहितार्थ विनियम के तहत उत्पन्न हो, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाये।

31. वार्षिक प्रतिवेदन । – (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य विषय एवं विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे तथा परिनियम द्वारा यथाविहित तिथि को या उसके बाद सामान्य परिषद् को समर्पित किये जायेंगे और सामान्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी।

(2) सामान्य परिषद् अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को समर्पित करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी समर्पित की जाएगी।

32. निधि ।–

(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :–

(i) फीस, अनुदान, दान एवं उपहार, यदि कोई हो;

(ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, वास्तुकला परिषद् अथवा ऐसे ही प्राधिकार, किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान; और

(iii) विन्यास एवं अन्य प्राप्तियाँ।

(2) विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधि हो सकेगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।

(3) विश्वविद्यालय की निधि और सभी धन का प्रबंधन उस रीति से किया जायेगा जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।

(4) सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन एवं शोध के उन्नयन एवं उसे सुकर बनाने तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करा सकेगी।

33. लेखा एवं लेखा परीक्षा ।–

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र कार्यकारिणी परिषद् के निदेश के अधीन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष कम–से–कम एक बार अथवा कम–से–कम पंद्रह माह के अन्तराल पर, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जिसे इस निमित्त उनके द्वारा अधिकृत किया जाये, लेखा परीक्षा कराया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, कार्यकारिणी परिषद् की टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, सामान्य परिषद् और कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा की गयी कोई टिप्पणी सामान्य परिषद् की जानकारी में लायी जायेगी तथा सामान्य परिषद् की टिप्पणी यदि कोई हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचार किये जाने के बाद, कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।

(4) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, जो कुलाधिपति को समर्पित की गयी हो, सरकार को भी समर्पित की जायेगी।

34. रिटर्न (विवरणी) आदि प्रस्तुत करना ।–

विश्वविद्यालय ऐसे रिटर्न या अपनी सम्पत्ति या क्रियाकलापों के संबंध में अन्य जानकारी सरकार को प्रस्तुत करेगा जिनकी सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

35. कर्मचारियों की सेवाशर्तें:–

विश्वविद्यालय के पदधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट होंगी।

36. विश्वविद्यालय समीक्षा आयोग का गठन ।–

(1) कुलाधिपति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर, हर पांच साल में कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे।

(2) आयोग का गठन कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविदों से होगा, जिनमें से एक सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।

(3) सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कुलाधिपति निर्धारित करें।

(4) आयोग ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे, सरकार को एक प्रति के साथ कुलाधिपति को अपनी सिफारिशें देगा।

(5) कुलाधिपति सिफारिशों पर सरकार के परामर्श से ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वह ठीक समझे।

37. अपील का अधिकार ।–

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था का प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विनिश्चय के विरूद्ध कुलाधिपति के समक्ष, उस समय के भीतर, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति जिस विनिश्चय के विरूद्ध अपील किया गया हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित कर सकेंगे अथवा उलट सकेंगे।

38. **भविष्य तथा पेंशन निधि ।–**

विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन अथवा ऐसी बीमा स्कीम का प्रावधान सरकार के परामर्श से परिनियम द्वारा, यथाविहित रीति से ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा, जो वह उचित समझे।

39. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारों एवं निकायों के गठन के संबंध में विवाद ।–**

यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है अथवा सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया जायेगा जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

40. **आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना ।–**

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों के सिवाय, सदस्यों मे से सभी आकस्मिक रिक्तियाँ, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरें जायेंगे जो सदस्यों को नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त करता हो और जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्ति, निर्वाचित या सहयुक्त कोई व्यक्ति उस अवशिष्ट अवधि के लिए उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा जिसका स्थान वह भरता हो।

41. **विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।–**

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति या रिक्तियों के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

42. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।–**

विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकार के विरूद्ध इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के किसी प्रावधान के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गए या सद्भाव के आशय से किये गए कुछ भी के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

43. **विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत के ढंग ।–**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की प्रति इस प्रकार अभिहित रजिस्ट्रार द्वारा यदि प्रमाणित हो तो वह रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायेगी और उनके विषयों और संव्यवहारों, जहाँ उसका मूल, यदि उपस्थापित किया जाये वहाँ साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हों, को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

44. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।–**

इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा;

परन्तु, यह और कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

45. संक्रमणकालीन उपबंध ।—

इस अधिनियम, परिनियम या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्थान का कोई छात्र, जो विश्वविद्यालय से संबद्धता की तारीख से ठीक पहले अध्ययन कर रहा था या अन्य विश्वविद्यालयों की किसी भी परीक्षा के लिए पात्र था, को पाठ्क्रम की तैयारी में इसे पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्चक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए ऐसी अवधि और रीति का उपबंध करेगी जो विहित की जाये।

बि0स0मु0 (विधि), 5—डी0टी0पी0—750

<u>उद्देश्य एवं हेतु</u>

राज्य सरकार के सात निश्चय–1 योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सरकारी क्षेत्र में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। निजी क्षेत्र में भी वर्त्तमान में कई अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित हैं। राज्य में अभियंत्रण महाविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि एवं विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन और बाजार एवं उद्योग की मांग को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नये एवं उभरते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करना, पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जाना, इसके अनुरूप शिक्षकों तथा छात्रों को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं संस्थानों में शोध एवं नवोन्मेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है। इस प्रकार समग्र रूप में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर अभिवर्धन किये जाने के लिए एक पृथक एवं अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्त्ति के प्रयोजनार्थ राज्य में एक पृथक **"बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय"** की स्थापना हेतु **बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021** को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(सुमित कुमार सिंह)
भार–साधक सदस्य।